न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती शकुंतला, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 49 / 2023

प्रार्थी		अप्रार्थी	
1	लक्ष्मणराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी मालियों का बडा बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान	1	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 सपठित 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 08/02/2024

1. अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत के अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 5006/1 रकबा 0.1750 हैक्टर, खसरा नम्बर 5033 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 5037 रकबा 0.0900 हैक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.3150 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। पारिवारिक बंटवाडा के पश्चात ऑनलाईन तरमीम करते समय गलती से खसरा नम्बर 5006/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 5006 इन्द्राज कर दी गई है। जिसे दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

2. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब का अवसर समाप्त किया जाकर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत को हस्तगत प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/411 दिनांक 06.02.2024 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत की सा0मि0 पत्रावली है। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 5006, 5006/1, 5006/2, 5006/3 की तरमीम राजस्व नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन भू– नक्शा एप्लिकेशन पर भिन्न है। राजस्व ग्राम सोजत चक प्रथम के ऑनलाईन सेग्रीगेशन करते वक्त राजस्व नक्शा लट्ठा में हो रही वास्तविक तरमीम न होकर सहवन से गलत तरमीम हो गयी जिसे वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठा एवं मौका स्थिति अनुसार सुधार किया जाना अपेक्षित है।

3. बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार,

सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि पारिवारिक बंटवाडा के पश्चात ऑनलाईन तरमीम करते समय गलती से खसरा नम्बर 5006/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 5006 इन्द्राज कर दी गई है। जिसे दुरूस्त किया जावे। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नक्शा लट्ठा सीट व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 5006/1 व 5006 की स्थिति में भिन्नता होता दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पुष्टि होती है। भूमि धारी तहसीदार सोजत द्वारा भी नक्शा लट्ठा अनुसार दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित बताया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 5006/1 व 5006 की वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

—ःआदेशः—

5. अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131,133 सहपठित 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा नम्बर 5006/1 व 5006 की वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे खसरा नम्बर 5006/1 व 5006 की तरमीम माफिक कब्जा व नक्शा लठ्ठा अनुसार तरमीम त्रुटी को दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 08/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली